कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

सूचना पटल

क्रमांक / रा.स्वा.मि. / 2017 / 2202 जगदलपुर, दिनांक 10 / 04 / 2017

प्रशिक्षण हॉल सहित भोजन, चाय एवं नाश्ता की व्यवस्था हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला–बस्तर अंतर्गत प्रशिक्षण हॉल, भोजन, चाय एवं नाश्ता की व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है।

उक्त संबंध में उल्लेखित प्रशिक्षण हॉल, भोजन, चाय एवं नाश्ता की व्यवस्था कराने वाले फर्म जो कि जगदलपुर शहर के अंदर स्थापित हो, से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी **कार्यालयीन दिवस पर 11.00 से संध्या 5.00 बजे तक रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र)** निविदा प्रपत्र मूल्य का डी.डी. जो कि नॉन रिफंडेबल है, जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। डी.डी. **District Health Society, Bastar** के नामे ही स्वीकार किये जावेंगे।

निविदा प्रपत्र बिकी की अंतिम तिथि : 20 अप्रैल 2017 को सायं 5.00 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 21 अप्रैल 2017 अपरान्ह 4.00 बजे तक

निविदा खोले जाने की तिथि : 22 अप्रैल 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

प्रशिक्षण हॉल सहित भोजन, चाय एवं नाश्ता हेतु निविदा आमंत्रण नियम व शर्ते :-

भोजन का मीनू निम्नानुसार है :-

1. भोजन में पतला चावल, अरहर दाल, रोटी, दो प्रकार की सब्जी (**आलू–गोभी / आलू–मटर / मिक्शड् वेज / भिंडी / आलू–बरबट्टी / करेला–पिआज / पत्तागोभी, बीन्स, आलू–मूनगा / परवल / फूलगोभी / मिठी–मटर / पालक)** पापड़, सलाद, अचार, चटनी (टमाटर / टमाटर–पोदीने की चटनी) एवं मीठा,
2. एक बार नाश्ता **(समोसा / आलूगुण्डा / इडली प्रति प्लेट / बड़ा प्रतिनग / आलूचिप्स / बिस्कुट / कुकीस / कोल्डड्रिंक्स / मूंग बड़ा / ढोकला** प्रतिदिन अदल–बदलकर इनमें से कोई एक) **साथ ही वाटर बाटल** एवं मीठा ।
3. सुबह–शाम चाय और बिस्किट।

आवश्यक निर्देश :-

1. भोजन ताजा हो ।
2. भोजन एवं चाय–नाश्ता समय सारिणी के अनुसार दिया जावे।
3. संबंधित फार्म खाद्यविभाग से पंजीकृत हो तथा उसके पास टीन नं. एवं पेन नम्बर अनिवार्यतः हो।
4. मीनू का पालन नही होने पर निविदा निरस्त किया जा सकता हैं।

प्रशिक्षण हॉल हेतु निविदा आमंत्रण नियम एवं शर्ते :-

1. (अ). प्रशिक्षण हॉल की संख्या 01

- प्रशिक्षण हॉल में 60 अभ्यार्थियों के बैठने के लिये उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण हॉल में पर्याप्त संख्या में बैठने के लिये कुर्सियॉ, लाईट एवं पंखे होना चाहिए।
- प्रशिक्षण हॉल के आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, जिससे की प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।
- प्रशिक्षण हॉल में पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जिससे प्रशिक्षकों / प्रशिक्षणार्थियों को दुविधा न हो।
- प्रशिक्षण हॉल में बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे प्रोजेक्टर / टी.व्ही. एवं साउण्ड बॉक्स का उचित उपयोग हो सके।
- प्रशिक्षण हेतु बैठक कक्ष में साफ–सफाई होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण हॉल में भोजन, चाय व नाश्ता खाने / पिने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

(ब). प्रशिक्षण हॉल की संख्या 02 से 03 (अतिरिक्त)

- कुछ प्रशिक्षण हेतु 02 से 03 प्रशिक्षण हॉल की आवश्यकता होती है, इस हेतु प्रत्येक कक्ष में 15 अभ्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण हॉल में पर्याप्त संख्या में बैठने के लिये कुर्सियॉ, लाईट एवं पंखे होना चाहिए।
- प्रशिक्षण हॉल के आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, जिससे की प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।
- प्रशिक्षण हॉल में पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जिससे प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों को दुविधा न हो।
- प्रशिक्षण हॉल में बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे प्रोजेक्टर/टी.व्ही. एवं साउण्ड बॉक्स का उचित उपयोग हो सके।
- प्रशिक्षण हेतु बैठक कक्ष में साफ–सफाई होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण हॉल में भोजन, चाय व नाश्ता खाने/पिने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

2. सेवा प्रदाता एजेन्सी का खाद्य विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। उसके पास टीन नं. एवं पेन नम्बर अनिवार्यतः हो।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी को भोजन व्यवस्था एवं चाय नास्ता इत्यादि व्यवस्था/सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो।
4. सेवा प्रदाता एंजेन्सी द्वारा समय पर गुणवत्ता पूर्ण भोजन व्यवस्था एवं चाय, नास्ता की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. सेवा प्रदाता एजेन्सी आयकर/व्यापार कर में पंजीकृत होना चाहिए।
6. सेवा प्रदाता एजेन्सी का जगदलपुर में फर्म/होटल होना अनिवार्य है।
7. सेवा प्रदाता एजेन्सी के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता हो। इस आशय से प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) टेण्डर के साथ संलग्न किये जायें।
8. सेवा प्रदाता एजेन्सी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार की न हो।
9. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा निविदा के साथ **रु. 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदा के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
12. मापदण्ड के अनुसार भोजन व्यवस्था नहीं होने की दशा में प्राप्त सामाग्री/सुविधा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा ।
13. निर्धारित समय पर व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति द्वारा 2 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ समयावधि में एक
14. बार ही वृद्धि की जा सकेगी ।
15. सभी शर्तो करारनामा 50 रूपये के **स्टाम्प पेपर** में हो ।
16. यह निविदा की समय सीमा **31 मार्च 2018 तक** के लिये होगी।
17. किसी भी स्थिति में उपरोक्त शर्तों के पूरा नहीं किये जाने वाले निविदाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार व निरस्त किया जा सकेगा।
18. निविदा प्रक्रिया निरस्त किये जाने का संपूर्ण अधिकार निविदा के संबंध में गठित क्रय समिति जिला स्वास्थ्य समिति बस्तर को होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)